


24/3/24

परिवहन/ पी.सी.टी. अधिनियम
पधारें है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
को पेश हो

28/3/24

28/3/2024

पत्रा. पेडा दुई। यात्री वकील व प्रार्थी उपाधिक
 नहीं। यात्री का दावा आरम्भ होजरी
 आरम्भ पत्रा में खारिज किया जा
 चुका है। अब इन प्रार्थना-पत्र को को
 खारिज नहीं रह जाता है। अतः
 यात्री का प्रार्थना-पत्र 212 RTA
 द्वारा लाल पर खारिज किया
 जाता है। पत्रावली  लाल हुकाल होकर
 साजिल सुपलु है।